अध्याय VII

सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार को या तो पूर्ण रूप से या अधिसूचना में निर्दिष्ट जैसी भी स्थिति हो, पर पूरा सीमाशुल्क या उसके किसी भाग पर माल के किसी विनिर्दिष्ट विवरण से छूट देना का अधिकार है। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (दिसम्बर 2011 से जनवरी 2016 तक), छूट के गलत अनुदान के नौ मामले देखे गये हैं जिसमें ₹ 5.64 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। इनमें से, सात मामलों की निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है और दो मामलें जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये और वसूली की गई/वसूली कार्यवाही की गई **अनुलग्नक 11** में उल्लिखित हैं।

जाली दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क की वापसी

7.1 दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमाशुल्क के संदर्भ में, माल जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में आते हैं, जब भारत में बाद में बिक्री हेतु आयात किया जाये, आयातक द्वारा अधिसूचना के पैराग्राफ (ए) से पैराग्राफ 2 (ई) में निर्धारित शर्त को पूर्ण करने पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा (5) के अंतर्गत उस पर वसूलीयोग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) के पूर्ण भाग से छूट प्राप्त होगा। इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने लिये आयातक को अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ (ई) के संबंध में निम्नलिखित की प्रतियां उपलब्ध कराना अनिवार्य है (i) कथित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के साक्ष्य दस्तावेज (ii) आयातित माल की बिक्री के बीजक जिसके संबंध में कथित अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा किया गया हो (iii) आयातक द्वारा ऐसे आयातित माल की बिक्री पर उचित बिक्री कर या योगित मूल्य कर के भुगतान के साक्ष्य जैसा भी मामला हो। सीबीईसी ने 28 अप्रैल 2008 और 13 अक्टूबर 2008 के अपने परिपत्र में क्षेत्रीय संरचनाओं ((i) दिनांक 28 अप्रैल 2008 का परिपत्र संख्या 6/2008-सीमाशुल्क, (ii) 13 अक्टूबर 2008 का परिपत्र संख्या 16/2008-सीमाशुल्क) को सांविधिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार (सीए), जो इन शर्तों के अनुपालन के सबूत के रूप में कम्पनी अधिनियम या

कोई स्टैचू के अंतर्गत आयात के वार्षिक वित्तीय खातों को प्रमाणित करता है से प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के निर्देश दिये थे।

मैसर्स बाबा लोकनाथ ट्रेडर्स को कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कस्टम हाउस, कोलकाता पर प्रतिदाय अनुभाग (पोर्ट) का मूल्यांकन करके अधिसूचना संख्या102/2007-सीमाशुल्क के संबंध में ₹ 34.86 लाख की एसएडी राशि वापस दी गई। ₹ 15.04 लाख के प्रतिदाय से जुडे चार प्रतिदाय मामलों में से तीन में दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला कि आयातित मद कोलकाता के पते पर कर दाता पहचान संख्या (टिन) संख्या 19891419558 के अंतर्गत बेचे गये थे, जो जांच[44] करने पर अन्य निर्धारिति मैसर्स श्री आई इंटरनेशनल लिमिटेड, सिलिगुडी, पश्चिम बंगाल के नाम पर पंजीकृत पाया गया था। आयातक द्वारा उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान के रूप में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये चालान से पता चला कि बिक्री कर का अलग टिन संख्या 19282524077 के पक्ष में भुगतान किया गया था। यह स्पष्ट है कि आयातक द्वारा प्रस्तुत बिक्री बीजक जाली थे और वैट/सीएसटी चालान इन बिक्री बीजकों से संबंधित नहीं थे यह दर्शाता है कि भारत में आयातित माल की बिक्री पर उचित बिक्री कर/वैट का भुगतान नहीं किया गया था।

इसके अतिरक्त, चार प्रतिदाय फाइलों में कुल 74 बिक्री बीजकों में से 58 (78%) में गलत टिन नम्बर पाया गया था जहां या तो बीजक में दिये गये खरीददार का पता और नाम पंजीकृत टिन विवरण से मेल नहीं खा रहा था या खरीददार का टिन मौजूद नहीं था जो जाली बिक्री बीजक प्रस्तुत करना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सभी चार प्रतिदाय फाइल में आयातित माल के बिक्री बीजक और बीई एक ही अवधि के थे (सितम्बर 2013 से जून 2014), आयातक ने दो अलग-अलग सीए {श्री राजेश जालान (एक फाइल) और डी मुखोपाध्याय एंड कं. (तीन फाइल)} से सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे जिसमें दोनों ने प्रमाणित किया था कि उन्होंने आयातक का वार्षिक वित्तीय लेखा प्रमाणित किया था, जो संभव नहीं है। श्री राजेश जालान की पंजीकरण संख्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीए) के डाटाबेस में मौजूद नहीं थी जो फिर से प्रतिदाय दावे के साथ प्रस्तुत सीए प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर संदेह

[44] सरकारी वेबसाइट www.tinxsys.com

उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट है कि ₹ 34.86 लाख के एसएडी प्रतिदाय का जाली दस्तोवेजों के आधार पर अनियमित रूप से दावा किया गया था जिसे आयात से वसूल किया जाना था, क्योंकि दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या102/2007-सीमाशुल्क में निर्धारित शर्त पूर्ण नहीं की गई थी।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (फरवरी/अप्रैल/जून 2015), सीमाशुल्क विभाग ने दो प्रतिदाय मामलों के संबंध में ₹ 10.47 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया और एक मामले में मांग सहित कारण बताओं नोटिस जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

7.2 कोलकाता (पोर्ट) कमिश्नरी के अंतर्गत 75 प्रतिदाय मामले फाइलों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि आयातकों ने सीए राज कृष्णा कर जिसकी सदस्या संख्या 009930 और पता 19, बेचु चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700009 था द्वारा उचित रूप से प्रमाणित सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये थे। दो सीए प्रमाणपत्रों को छोड़कर, जो 20 अगस्त 2014 और 11 अगस्त 2014 को हस्ताक्षरित माने गये थे, 73 प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत परिशिष्ट-डी के रूप में सभी अन्य प्रमाणपत्रों में तारीख नहीं लिखी थी जो स्वीकार्य नहीं था।

उपरोक्त उल्लिखित सीए प्रमाणपत्रों में उपलब्ध सदस्यता संख्या (009930) के लिये भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की वेबसाइट से सीए प्रमाणपत्र की यथार्थता की पुष्टि के दौरान, यह पता चला कि कथित सीए (अर्थात राज कृष्णा कर) का नाम सीए की सूची से 16 मार्च 2014 को हटा दिया गया था, क्योंकि सीए की मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य की दिनांक 1 जून 2015 के न्यूज़ लेटर, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काऊंसिल ऑफ आईसीएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन पुष्टि की गई थी, जिसमें यह उल्लिखित था कि सीए का नाम मृत्यु के कारण हटा दिया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कथित सीए की मृत्यु (15 मार्च 2014) के बाद 20 अगस्त 2014 और 11 अगस्त 2014 को हस्ताक्षरित प्रतिदाय दावों के संबंध में आयातकों द्वारा प्रस्तुत सीए प्रमाणपत्र जाली सीए प्रमाणपत्र हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 73 मामलों में यह पता चला कि रिकॉर्ड (अर्थात बिक्री बीजक, टीआर 6 चालान, आयात दस्तावेज आदि) मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से संबंधित थे लेकिन सीए द्वारा प्रमाणित (यद्यपि अद्यतित) किये जाने अपेक्षित हैं जो संभव

नहीं था और तदनुसार एसएडी के प्रतिदाय के दावे के प्रयोजन को जाली माना जा सकता है।

आयातकों द्वारा प्रस्तुत जाली सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुये, दिनांक 14 सितम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007-सीमाशुल्क के पैराग्राफ 2(बी), 2(डी) और 2(ई) (iii) में निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया था। तदनुसार, आयातकों द्वारा धोखा-धड़ी से दावा किये गये, ₹2.04 करोड़ का एसएडी प्रतिदाय अनुचित था और आयातकों के प्रति उचित दण्डात्मक उपायों के अतिरिक्त वसूल की जानी अपेक्षित है।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (सितम्बर 2015 और जनवरी 2016), सीमाशुल्क विभाग ने सूचित किया (मई 2016) कि आयातक को प्रयोजन प्रतिदाय दावों हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आयातकों के प्रति दण्डनीय/कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा की राय है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये विभागीय सतर्कता प्रधिकारियों द्वारा मामले की अच्छी तरह से जांच की जा सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2016)।

स्टील की तार, स्टील की शीट, कॉयल आयात पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की कम वसूली

7.3 सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष[45] के अंतर्गत आयातित माल पर बीसीडी (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 की क्रम सं 334) यथा संशोधित (दिनांक 16 जून 2015 की अधिसूचना सं. 39/2015 की क्रम सं. 334) के अनुसार 7.5 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य है ।

मैसर्स वी. ट्रेड और 74 अन्य ने आईसीडी, तुगलकाबाद, आईसीडी पटपडगंज और एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 7215, 7217, 7220, 7222, 7223, 7225, 7226 और 7228 के अंतर्गत वर्गीकृत ''स्टील वायर रॉड, स्टील शीट,

[45] (सीटीएच) 7206, 7207, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225 (72253090, 72254019, 722550 या 72259000 को छोड़कर), 7226 (72261100 को छोड़कर), 7227 या 7228

कॉयल, स्टील बार'' आदि का आयात किया (जून से अगस्त 2015)। माल लागू 7.5 (उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 334) की बजाय दिनांक 17 मार्च 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के क्रम संख्या 330 के अंतर्गत 5 प्रतिशत की दर बीसीडी वसूल करके क्लियर किया गया था। अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 96.15 लाख की शुल्क राशि की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर 2015), विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स मंगला हैडंलेस और मैसर्स मैट्रो इंडस्ट्रीय - आईसीडी - तुगलकाबाद) से ₹ 0.59 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया (सितम्बर 2015/फरवरी 2016) और 12 आयातकों को सहायक आयुक्त, एनसीएच, दिल्ली द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया (फरवरी 2016)। शेष 61 आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

गलत छूट के कारण प्रोजेक्टरों के आयात पर बीसीडी की कम वसूली

7.4 'प्रोजेक्टर' जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयोग किये जाते हैं सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 85286100 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 17) के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की वसूली से छूट प्राप्त है। जबकि 'प्रोजेक्टर' जो टेलिविजन और वीडियों के साथ-साथ ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ कार्य करने में सक्षम हो लागू उपकर और शुल्क सहित 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने है और सीटीएच 85286900 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

मैसर्स वर्धमान टेक्नालॉजी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स फैक्सोनिक्स टेक्नालॉजीज़ प्रा. लिमिटेड ने जेएनसीएच, नहावा शेवा, मुंबई के माध्यम से 'प्रोजेक्टर्स सीडब्ल्यू 305 एसटी टीएलपी प्रोजेक्टर और सीएक्स 305 एसटी डीएलपी' के छह प्रेषण आयात किये (जुलाई से अक्टूबर 2015)। यह माल सीटीएच 85286100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और उपरोक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 17 के अंतर्गत बीसीडी की रियायती दर पर निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने उत्पाद सूची से नोटिस किया कि 'प्रोजेक्टरों' के आयातित मॉडल में आरएस-232 इनपुट, एस-वीडियों इनपुट और कंपोसिट वीडियों इनपुट

है और इसलिये टेलिविजन और वीडियों के साथ-साथ ऑटोमैटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं। तदनुसार, आयातित माल 85286900 के अंतर्गत वर्गीकृत होना चाहिये और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाने योग्य है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण और छूट के अनुचित अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 73.95 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

विभाग को जनवरी 2016 में इस बारे में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

प्रतिकारी शुल्क की गलत छूट

7.5 सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 9018 और 9019 के अंतर्गत वर्गीकृत शल्य चिकित्सा, दंत या पशुचिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होने वाले यंत्र और उपकरणों के कलपुर्जे और अन्य सामान प्रतिकारी शुल्क की वसूली से छूट प्राप्त है (दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-सीई की क्रम संख्या 59(i))। सीटीएच 9018/9019 के अंतर्गत वर्गीकृत चिकित्सा उपकरण पर 5 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क वसूली योग्य है (दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 10/2006-सीई)।

मैसर्स फिलिप्सइ लैक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने एयर कस्टम, चेन्नै के माध्यम से 'मेग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) प्रणाली, सोनाल्लेवे एमआर एचआईएफयू किट' के चार प्रेषण आयात किये (जून से अक्टूबर 2011)। अयातित माल सीटीएच 90181300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और उनको कलपुर्जों/अन्य सामान मान कर दिनांक 1 मार्च 2006 की उपरोक्त अधिसूचना संख्या 6/2006 के क्रम संख्या 59 के अंतर्गत प्रतिकारी शुल्क से छूट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित माल 'सोनाल्लेवे प्लेटफॉर्न' चिकित्सा उपकरण हैं। इसलिये, संबंधित माल छूट के लाभ और 5 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क का पात्र नहीं है। छूट के गलत अनुदान के प्रतिणामस्वरूप ₹ 61.60 लाख का शुल्क कम एकत्र हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (मई 2016), मंत्रालय ने अवलोकन स्वीकार करते हुये कहा (नवम्बर 2016) कि अन्य कमिश्नरियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया जा रहा है। वसूली विवरण प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2016)।

आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क की गलत छूट

7.6 दिनांक 8 मई 2012 की अधिसूचना संख्या 32/2012 सीमाशुल्क द्वारा संशोधित रूप से दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क के क्रम संख्या 70 के अनुसार, परिधान और कपड़ों की वस्तुऐं (61179000 छोड़कर) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाला सभी माल जब भारत में आयातित किया जाता है कथित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत उस पर वसूली योग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है। यह छूट 1 मार्च 2012 को या इसके बाद कथित आयातित माल पर लागू होगी, यदि आयातक निम्नलिखित घोषित करता है:-

i) गंतव्य का राज्य अर्थात राज्य जहां माल आयात के तुरंत बाद बिक्री या स्टॉक स्थानांतरण आधार पर वितरण हेतु ले जाया जायेगा; और

ii) कथित राज्य में, योगित मूल्य कर पंजीकरण संख्या या केंन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण संख्या, जैसा भी मामला हो।

पश्चिम बंगाल (निवारक) कमिश्नरी की माल्दा सीमाशुल्क डिविजन के अंतर्गत महादीपुर भूमि सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) में आयात पत्र की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि मैसर्स राधा कृष्णा इंटरप्राइजेंस और आठ अन्य द्वारा बांग्लादेश से आयातित (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2014) सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत वर्गीकृत कपड़ों के 37 प्रेषण को उपरोक्त उल्लिखित अनुसार दोनों निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सीमाशुल्क की क्रम संख्या 70 के अंतर्गत, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत वसूली योग्य अतिरिक्त सीमाशुल्क की छूट अनुमत थी। अतिरिक्त सीमाशुल्क से गलत छूट के परिणामस्वरूप ₹ 38.68 लाख की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (नवम्बर 2014) कि सीमाशुल्क प्राधिकारी (महादीपुर, एलसीएस) ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि आयातकों ने अपने

आयात पत्र में अपनी संबंधित वैट/सीएसटी संख्या और राज्य कोड स्पष्ट रूप से घोषित किये हैं और सीमाशुल्क से माल की क्लियरेंस होने पर, आयातक अपने गंतव्य तक माल ले जाने हेतु बिलटी फाइल करते हैं। बिलटी की कुछ प्रति संदर्भ के रूप में संलग्न की गई थी।

सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014) कि उनका दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संलग्न बिलटी की प्रतियां लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये आयात पत्र से संबंधित नहीं थी और वे बांग्लादेश से भारत माल के आयात से संबंधित थी और सीमाशुल्क निर्वाह बिन्दु से गंतव्य राज्य तक आयातित माल की ढुलाई से संबंधित नहीं। मैसर्स राधा कृष्णा इंटरप्राइजेज द्वारा दो आपत्तिपूर्ण आयात पत्र में दिया गया वैट नम्बर (19836591084) अन्य फर्म अर्थात मैसर्स उम्मेद एक्सपोर्ट के नाम पर भी पंजीकृत पाया गया था और वो भी 12 नवम्बर 2013 को रद्द किया गया था जैसा कि वाणिज्यिक कर निदेशालय पश्चिम बंगाल की वेबसाइट से स्पष्ट है।

यह बताने पर सीमाशुल्क विभाग ने बताया (अप्रैल 2015 और अप्रैल 2016) कि आयातकों को कारण बताओं नोटिस सहित मांग नोटिस जारी कर दिया गया है जो निर्णय की प्रक्रिया के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

सोयाबीन एक्स्ट्रेक्शन के आयात पर बीसीडी की अनुचित छूट

7.7 सीटीएच 2304 के अंतर्गत वर्गीकृत "दी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट" दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क के माध्यम से जोड़ी गई, दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क से संलग्न तालिका की क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त था, दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से डाली गई अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क के प्रावधान (बीसी) के अनुसार, बीसीडी छूट 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद लागू नहीं थी। आयातित "डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट" के लिये अतिरिक्त बीसीडी छूट बढ़ाने हेतु अधिसूचना संख्या12/2012-सीमाशुल्क में कोई अनुवर्ती संशोधन नहीं किया गया था।

मैसर्स फीनिक्स ओवरसीज़ लिमिटेड, कोलकाता ने सीमाशुल्क (निवारक) कमिश्नरी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत माल्दा सीमाशुल्क डिविजन के महादीपुर भूमि सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) के माध्यम से 'सोयाबीन एक्सट्रेक्शन' (सीटीएच-2304) के चार प्रेषण आयात किये थे (मई 2015) और दिनांक 17 मार्च 2012 की उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत छूट दिनांक अनुचित रूप से अनुमत की, यद्यपि छूट दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से डाले गये प्रावधान (बीसी) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2015 से अवैध हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.65 लाख के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 2015), सीमाशुल्क विभाग ने दावा किया (मार्च 2016) कि चूँकि 'डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट'/'सोयाबीन एक्ट्रेक्शन' के सभी आपत्तिपूर्ण आयात 7 मई 2015 के बाद किये गये थे, इस प्रकार दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क जारी होने के बाद बीसीडी नहीं लगेगा।

विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2016) कि उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत क्रम संख्या 104 डी के अंतर्गत आयातित ''डी-ऑयल्ड सोया एक्ट्रेक्ट'' पर शुल्क की छूट अधिसूचना के प्रावधान (बीसी) के अनुसार केवल 31 मार्च 2015 तक वैध थी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंम्बर 2016)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

नई दिल्ली **(शेफाली एस अन्दलीब)**
दिनांक: 23 जनवरी 2017 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 23 जनवरी 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**